VI/17 IV 11/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

05 FEB 2013

वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 698169

चन्दौली अधिवक्ता कल्याण समिति ₹200/- Z/2013/85 जनपद-चन्दौली

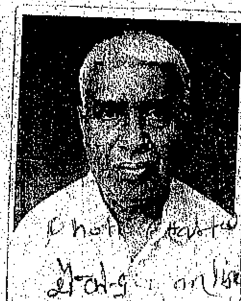

1810/-

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प- 1810/-रू0

मैं बृजेन्द्र स्वरूप सिंह पुत्र स्व0 कलपनाथ सिंह उम्र 60वर्ष नि0 डवॅक, पो0जमाल पुर, तहसील-चुनार, जिला मिर्जा पुर हाल पता ग्राम डवॅक पो0 बबुरी जिला चन्दौली (उ0प्र0) का हूँ।

मेरे मन में एक इच्छा काफी समय से उठ रही थी कि मै एक ट्रस्ट बनाकर ऐसी कार्य शैली को अपनाये कि जिससे गरीबो, असहायों की सहायता एवं सहयोग दिया जासके, जिससे अपने समाज के लोगो को शैक्षिक, मानसिक बौद्धिक, धार्मिक आध्यात्मिक, शारीरिक एवं आर्थिक उत्थान हो सके,

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA 05 FEB 2013

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 528412

और असहाय ,अपाहिज, दीन दुखियों तथा निर्धन लोगों का भला व कल्याण हो सके। इस समय मेरे पास रू0 25000/-पच्चीस हजार मात्र मौजूद है। जिसे मै इस ट्रस्ट को अर्पित कर दिया हूँ।

इस न्यास का पूर्ण नाम "के0एन0 सिंह सोसल एण्ड एजुकेशनल इम्पावरमेन्ट ट्रस्ट" होगा। इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत देश होगा , किन्तु मुख्य कार्यालय बबुरी जनपद चन्दौली मे रहेगा।

इस न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे।-

1- प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा केलिए अध्ययनकेन्द्र स्थापित करना।

2- समाज के लोगो को अच्छी चिकित्सकीय सुविधा देने हेतु हास्पिटल,मेडिकल कालेज खोलना तथा चिकित्सासे जुड़े अन्य वे सभी उपाय करना ,जो इसकेलिए आवश्यक है।

3- चिकित्सा,साहित्य और पत्रपत्रिकाओं एवं पुस्तकों का सम्पादन व प्रकाशन करना संस्था के माध्यम से पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर गोष्ठी का आयोजन करके जनउपयोगी कार्य करना, न्यास के उद्देश्य एवं हित मेंसभी प्रकार के दान, अनुदान

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05 FEB 2013

कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH /3/ BG 528413

व उपहार स्वीकार करना तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वांछित आवश्यक व उपयुक्त तथा स्थावर सम्पत्ति का वैयक्तिक औरकोई स्वत्व या अधिकार क्रय हेतु विनिमय या हस्तान्तरण द्वारा प्रेषित करना, समाज के चतुर्भुज विकास हेतु न्यास के माध्यम से समाजोपयोगी कार्य करना। उपरोक्त कार्यों केलिए जो भी कार्य होगा, उसकी उपसमिति गठित होगी, उपसमिति को नियुक्त करने व पद मुक्त करने का अधिकार मुख्य ट्रस्ट्री की स्वीकृति तथा दो तिहाई ट्रस्टियों के सहमति से होगा, इस न्याय के प्रधान न्यासी श्री बृजेन्द्र स्वरूप सिंह पुत्र स्व0 कल्पनाथ ग्राम डवॅक पो0 जमाल पुर जिला मिर्जापुर जिनका डाक पता ग्राम डवॅक पो0 बबुरी परगना मझवार तहसील व जिला चन्दौली है। और उनकी सहायता एवं ट्रस्ट के कार्य को सही ढंग से संचालन करने केलिए 5 और सहायक ट्रस्टी सदस्य रहेगे, जो निम्नलिखित है :-

1- श्री हरेकृष्ण सिंह पुत्र श्री बृजेन्द्र स्वरूप सिंह निवासीग्राम डवॅक पो0जमाल पुर जिला मिर्जापुर।

2- डा0 मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री बृजेन्द्र स्वरूप सिंह निवासीग्राम डवॅक पो0 जमाल पुर

बृजेन्द्र स्वरूप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05 FEB 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH /4/

BG 528414

जिला मिर्जापुर।

3- श्री जन्मेजय सिंह पुत्र श्री बृजेन्द्र स्वरूप सिंह निवासी ग्राम डवॅक पो0 जमाल पुर जिला मिर्जापुर।

4-श्री अजीत कुमार सिंह पुत्र श्री बृजेन्द्र स्वरूप सिंह निवासी ग्राम डवॅक पो0 जमाल पुर जिला मिर्जापुर।

5- डा0 विभा सिंह पत्नी डा0 मनोज कुमार सिंह निवासीग्राम डवॅक पो0 जमाल पुर जिला मिर्जापुर।

उपरोक्त ट्रस्टियो के अतिरिक्त किसी अन्य ट्रस्टी के नियुक्ति काअधिकार केवल मुख्य ट्रस्टी को होगा।

इस न्यास का विवाद न्यायालय में नही जायेगा। प्रधान ट्रस्टी का निर्णय मान्य होगा। यदि भविष्य मे किसी ट्रस्टी का सदस्य द्वारा किसी विवाद को न्यायालय में दाखिल किया जाताहैतो उसकी सहायक ट्रस्टी पद या सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ट्रस्टके मुख्य ट्रस्टी श्री बृजेन्द्र स्वरूप सिंह पुत्र स्व0 कलपनाथ ग्राम डवॅक पो0 जमाल पुर जिला मिर्जापुर द्वारा रु0 25000/- (पचीस हजार रु0) मात्र नगद दे दिया गयाहै।

बृजेन्द्र स्वरूप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH /5/

BG 528415

जो ट्रस्ट की सम्पत्ति है। इस धन व आगे प्राप्त होने वाले धन को ट्रस्ट मण्डल द्वारा किसी भी पोस्ट आफिस या राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक में जमा किया जायेगा, पोस्ट आफिस या बैंक का खाता ट्रस्ट के नाम काहोगा। खाते का संचालन प्रधान न्यासी एवं उनके द्वारा यदि कोई मनोनीत सहायक ट्रस्टी किए जातेहैं तो वे करेंगें। यानि खाते का संचालन प्रधान न्यासी स्वयं के हस्ताक्षर से करेंगे।यदि चाहे तो अन्य किसी सहायक न्यासी को भी खाते के संचालन का अधिकार दे सकते है।

ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति तथा नगद या अन्य प्रकार का दान, अनुदान, ट्रस्ट के उद्धेश्यो की पूर्ति हेतु प्राप्त करने काअधिकार प्राप्त होगा। ट्रस्ट की सम्पत्ति का उपयोग ट्रस्ट के उद्धेश्यों की पूर्ति केलिए किया जायेगा।

इस न्यास का प्रधान कार्यालय "बबुरी परगना महवार तहसील व जिला चन्दौली" के होगा और आवश्यकतानुसार देश के अन्य भागों में या उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थान पर क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायेगे। इस ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने तथा समाज की हर प्रकार से समुचित सेवा कार्य को सम्पन्न करने हेतु वेतन भोगी कर्मचारी व अवैतनिक कार्यकर्ता भी रखे जायेंगे । ट्रस्ट का सम्पूर्ण हिसाब, किताब आय-व्यय का ब्योरा लिखित मे

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

/6/

BG 528416

रहेगा, जो भी दान चन्दा सहायता ट्रस्ट केलिए प्राप्त होगा वह ट्रस्ट के नाम या उसके द्वारा संचालित संस्थाओ के नाम से रहेगा।

मुख्य ट्रस्टी कोअधिकार होगा कि ट्रस्ट के सहायक ट्रस्टियों की संख्या कम या अधिक कर सकताहै। परन्तु इनकी संख्या 11 सेअधिक व 5 से कम न होगा। ट्रस्ट के बैठक की कार्यवाही निर्णय आदि करने हेतु ट्रस्टियो मे से हर दशा में कम से कम दो तिहाई ट्रस्टियों की उपस्थिति आवश्यक होगी। उसमें मुख्य ट्रस्टी अर्थात ट्रस्ट कर्ता की उपस्थिति एवं स्वीकृति अनिवार्य होगी। ट्रस्टी, ट्रस्ट के कार्य एवं स्थिति को समृद्ध व सुदृढ़ बनाने हेतु क्रय विक्रय व्यक्तिगत एवं राजकीय अनुदान एवं सहायता द्वारा अधिग्रहण द्वारा चल- अचल वस्तु संग्रह करेगा। जो उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आय- व्यय का उपयोग किया जायेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक नियमावली बनाने तथा उसमे समय समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन व परिवर्द्धन करने काअधिकार ट्रस्ट मण्डल को होगा। किन्तु इस सन्दर्भ अन्तिम निर्णय मुख्य ट्रस्टी का होगा।

ट्रस्ट के अन्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगे-

1- गरीब एवं असहाय लोगो की निःशुल्क चिकित्सा सुविधान प्रदान करना औषधि

[signature]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA 05 FEB 2013

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH /7/ BG 528417

वितरण करना और जीवनकी अन्य आवश्यकताओ को पूरा करना जैसे- अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक आदि औषधि उपचार के वादखर्च को वहन करना, सहायता करना।

2- बालक- बालिकाओ, नवयुवक, नवयुवतियाँ एवं महिलाओं केलिए प्रथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा केलिए शैक्षिक संस्थान की स्थापना करना व उसका संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

3- चिकित्सालय, निर्सिंग होम, मातृशिशु केन्द्र, बाल कल्याण केन्द्र, असहाय, विधवा, अपंग मूकबधिर, वरिष्ठ नागरिक वृद्धआश्रम।

4- नशा उन्मूलन एड्स एवं अन्य जानलेवा बीमारियों के निरोध केलिए आर्थिक व अन्य सहायता देना तथा अपने समाज के गरीब एवं असहाय लोगो का दहेज रहित सामूहिक विवाह करना।

5- निर्धन, सहायता वगैर के लोगो को धोती, कपड़ा, साड़ी, कम्बल, ऊनी, वस्त्र सूती वस्त परिधान आदि का वितरण समय समय पर निःशुल्क रूप से करना।

6- निर्धन व असहाय लोगो केलिए निःशुल्क शिक्षाके क्षेत्र में कल्याणकारी निधियों की स्थापना, संचालन और आर्थिक सहायता देना, जिससे छात्रों को स्कालरशिप, प्रशिक्षण सहायता देना, प्राविधिक संस्थान, तकनीकी शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थानो की स्थापना एवं संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA 05 FEB 2008

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH /8/ BG 528418

7- छात्रों के शोध कार्य एवं अध्ययन में छात्र वृत्ति देना जिससे वे अपना कार्य सुचारू रूप से चला सके। विज्ञान एव शिक्षा के क्षेत्र में व्यायामशाला, शारीरिक विकास के लिए खेलकूद ,कुश्ती ,दंगल जैसे कार्य क्रमो का ट्रस्ट द्वारा आयोजित करना एवं होनहार खिलाड़ियो को पुरस्कृत करना।

8- पुरस्कार द्वारा एवंसम्मान द्वारा संस्था एवं व्यकित को प्रोत्साहित करना जिससे वे अप क्षेत्र मे अच्छे से अच्छा कार्य कर सके।

9- विश्राम गृह ,धर्म शाला, गोशाला आदि की स्थापना एवं संचालन करना जिससे मानव सम्बन्धी कल्याणकारी कार्य हो सके। कुआँ खोदवाना ,पेय जल की व्यवस्था करन नलकूप लगवाना, छायादार पेड़ लगवाना शेड बनवाना, वृक्षारोपण आदि जन कल्याण कारी कार्य करना।

10- सामान्यजन के लाभार्थ कुआँ, तालाब, नलकूप,सड़क पुल आदि का निर्माण एव रख-रखाव करने केलिए आर्थिक मदद करना।

11- ग्रामीण विकास केलिए कार्य क्रम बनाना, आर्थिक मदद करना, कार्य क्रम का अनुपालन करना और इससे सम्बन्धित आर्थिक, भौतिक एवं सामाजिक कल्याण तथा स्तरोन्नयन के लि सहायतादेना, किसी अन्य संस्था को आर्थिक सहायता देकर ग्रामीण जनता के रहन सहन के स्तर को उठाने केलिए प्रेरित करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ×9/ AF 137192

12- बाल गृह-अजायब घर, महान लोगों की मूर्तियां, स्मृति स्थल आदि की स्थापना करना व संचालन करना तथा संगीत एवं नृत्य तथा ललित कलाओं की उन्नति के लिए ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क आयोजन करना।

13- दैवीयआपदा जैसे बाढ़, सूखा भूकम्प आग आदि के आने पर व्यक्तियों का एवं सहयोगी संस्थाओं की मदद करना।

14- ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं को निर्मित करना उसके संचालन के लिए दान अनुदान चन्दा आदि को मानव कल्याणकारी कार्य करते है, जिससे सामान्य जन का स्तर ऊँचा होगा।

15- शैक्षणिक कार्यक्रमको आर्थिक सहयोग देना, परिवार नियोजन, श्रमिक कल्याण किसान एवं गरीब तबके के लोगों को निःशुल्क सहायताकरना/देना।

16- बुद्धिजिवियों द्वारा भाषण, सेमिनार, प्रदर्शनी एवं साहित्य वितरण द्वारा सामान्यजन को प्रेरित करना तथा इस कार्य हेतु कार्यक्रमों का निःशुल्क संचालन की व्यवस्था करना।

17-सामाजिक एवं भौतिक विकासकेलिए क्लब एवं संस्थाओं का निर्माण करना।

18- देश के विकास के लिए व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों की स्थापना के लिए वांछित व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सहायताकरना ।

19- व्यापार, संग्रहालय, सभागार का निर्माण व वाचनालय की स्थापना व रख-रखाव आदि की व्यवस्था करना जो समान्य जनहित मे हो।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH /10/ 17AA 395955

20- सामान्यजन के लिए मन्दिर या अन्यपूजा स्थल की स्थापना निर्माण एवं रखरखाव की व्यवस्था करना।

21- सामान्यजन के हित के लिए कोई भी ऐसा कार्य जो उपर वर्णित नहीं है और उसकी आवश्यकता महसूस की जाती है तो ट्रस्ट उस कार्य को भी कर सकती है।

22- समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संस्था के माध्यम से समाजोपयोगी कार्य करना उपरोक्त कार्य के लिए जो भी कार्य होगा, उसकी उपसमिति गठित होगी, उपसमिति को नियुक्त करने एवं पदमुक्त करने का अधिकार मुख्य ट्रस्ट का होगा, इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्ट श्री बृजेन्द्र स्वरूप सिंह और उनकी सहायता एवं ट्रस्ट के कार्यों को सही ढंग से संचालन के लिए सहायक ट्रस्टीगण रहेंगे जिनके नाम पते पूर्वमेव वर्णित इस अभिलेख में किया गया है।

23- यह कि मुख्य ट्रस्टी यदि अपने जीवन काल में अपने मृत्यु के बाद मुख्य ट्रस्टी पद भार ग्रहण करने के लिए लिखित रूप से छोड़ जाता है तो उसके मृत्यु के पश्चात

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH /11/ 17AA 395956

उसे मुख्यट्रस्टी का कार्य भार सहायक ट्रस्टियों द्वारा सौंपा जायेगा। इसमें किसी भी सहायक ट्रस्टी व अन्य किसीको कोई आपत्ति न होगा।

24- यह कि मुख्य ट्रस्टी यदि अपने जीवनकाल मे मृत्यु के पश्चातकिसी व्यक्ति को मुख्य ट्रस्टी पद हेतु मनोनीत नही करता तो सहायक ट्रस्टीगण एवं सम्मति या बहुमत से नये मुख्य ट्रस्टी काचयन कर उन्हे पद भार ग्रहण करावेगे व उन्हे भी वर्तमान मुख्य न्यासी को प्राप्त सभी अधिकार प्राप्त होगे।

25- यह कि ट्रस्ट डीड हेतु स्टाम्प मु0 1810 रू0 अदा किया जा रहा है।

अत: ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों ने स्वेच्छा से ट्रस्टी होना स्वीकार किया है।

अत: यह ट्रस्ट अभिलेख मैने सहर्ष स्वेच्छानुसार स्वतंत्र विचार एवं शारीरिक मानसिक स्वस्थावस्था मे बिना किसी जोर दवाव के प्रभाव नाजायज के